


20.10.2023:—पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

